न्यायालय–जिला न्यायाधीश एफ.टी.सी. बस्तर स्थान–जगदलपुर छ.ग.

[पीठासीन अधिकारी – शैलेश अच्युत पटवर्धन]

सिविल अपील क्र.–39 अ/2025.
संस्थित दिनांक–16.06.2025.

लिबरु पिता–सुदू, आयु–64 वर्ष,
निवासी–ग्राम ककनार, तहसील–दरभा,
जिला–बस्तर (छ.ग.) । ------अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–06.

∫∫ विरूद्ध ∫∫

1.– **जानीराम** पिता–साधूराम, आयु–59 वर्ष,
2.– **दया** पिता–साधूराम, आयु–67 वर्ष,
3.– **मनी** पिता–साधूराम, आयु–65 वर्ष,
4.– **हरी** पिता–साधूराम, आयु–63 वर्ष,
5.– **शिवराम** पिता–साधूराम, आयु–61 वर्ष,
................उत्तरवादी क्र.–01 से 05/प्रतिवादी क्र.–01 से 05
6.– **डूमर** पिता–पूरन, आयु–61 वर्ष,
सभी निवाासी–ग्राम ककनार,
तह०–दरभा, जिला–बस्तर (छ.ग.) ---- उत्तरवादी क्र.–06/वादी.
7.– **छ०ग० शासन द्वारा**
जिलाध्यक्ष जगदलपुर,
जिला–बस्तर (छ.ग.) ....उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण

न्यायालय– द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 बस्तर, स्थान–जगदलपुर छ०ग०, के न्यायालय के [तत्कालीन पीठासीन अधिकारी– श्रीमती अनिता ध्रुव] द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक–08 अ/2016 **डूमर विरूद्ध जानीराम व 06 अन्य** में दिनांक 20.09.2022 को घोषित निर्णय एवं आज्ञप्ति से व्यथित होकर प्रस्तुत प्रथम व्यवहार अपील ।

अपीलार्थी द्वारा **श्री एन०के० देवांगन,** अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्रमांक–01 से 05 द्वारा **श्री दीपक खेडूलकर,** अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्रमांक–06 एवं 07 पूर्व से एकपक्षीय ।

∫∫ अपीलीय निर्णय ∫∫

(दिनांक 10.08.2026 को घोषित)

(01)– **अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू** द्वारा, वर्तमान सिविल अपील अंतर्गत **धारा–96 सी०पी०सी० सपठित आदेश 41 नियम 01 सी०पी०सी०**, न्यायालय– द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 बस्तर स्थान जगदलपुर (छ.ग.) द्वारा व्यवहार वाद क्र.–**08 अ/2016** में घोषित निर्णय एवं पारित आज्ञप्ति **दिनांक 20.09.2022** से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है । विचारण न्यायालय के समक्ष वादी/उत्तरवादी क्रमांक–06 द्वारा, प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05/उत्तरवादी क्रमांक–01 से 05 तथा प्रतिवादी क्रमांक–06/अपीलार्थी **लिबरू** के विरूद्व वादभूमि के संबंध में स्वत्व की घोषणा, आधिपत्य एवं स्थायी आदेश हेतु प्रस्तुत व्यवहार वाद को विचारण न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया गया था तथा प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05/उत्तरवादी क्रमांक–01 से 05 द्वारा उत्तरवादी क्रमांक–06/वादी डूमर के विरूद्व वादभूमि के संबंध में स्वत्व की घोषणा, आधिपत्य की पुष्टि एवं स्थायी आदेश हेतु प्रस्तुत प्रतिदावे को भी अस्वीकार किया गया था ।

विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत व्यवहारवाद के प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू/अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय दिनांक 20.09.2022 से व्यथित होकर, प्रथम सिविल अपील प्रस्तुत कर, विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय को अपास्त कर, प्रतिवादी क्रमांक–06/अपीलार्थी लिबरू को स्व० सुदू का गोद पुत्र घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा है ।

(02)– विचारण न्यायालय में पक्षकारों के समायोजन के आधार पर, **अपीलार्थी** को **"प्रतिवादी क्रमांक–06"** एवं **उत्तरवादी क्रमांक–01 से 05** को **"प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05"** तथा **उत्तरवादी क्रमांक–06** को **"वादी" तथा उत्तरवादी क्रमांक–07 को "प्रतिवादी क्रमांक–07"** के रूप में संबोधित किया जा रहा है ।

(03)– विचारण न्यायालय के समक्ष **वादी डूमर** का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर आपस में रक्त संबंधी हैं तथा हिन्दू विधि से शासित होते हैं । **वादी** तथा **प्रतिवादी क्रमांक–01 से 06** का **वंशवृक्ष** निम्नानुसार है :–

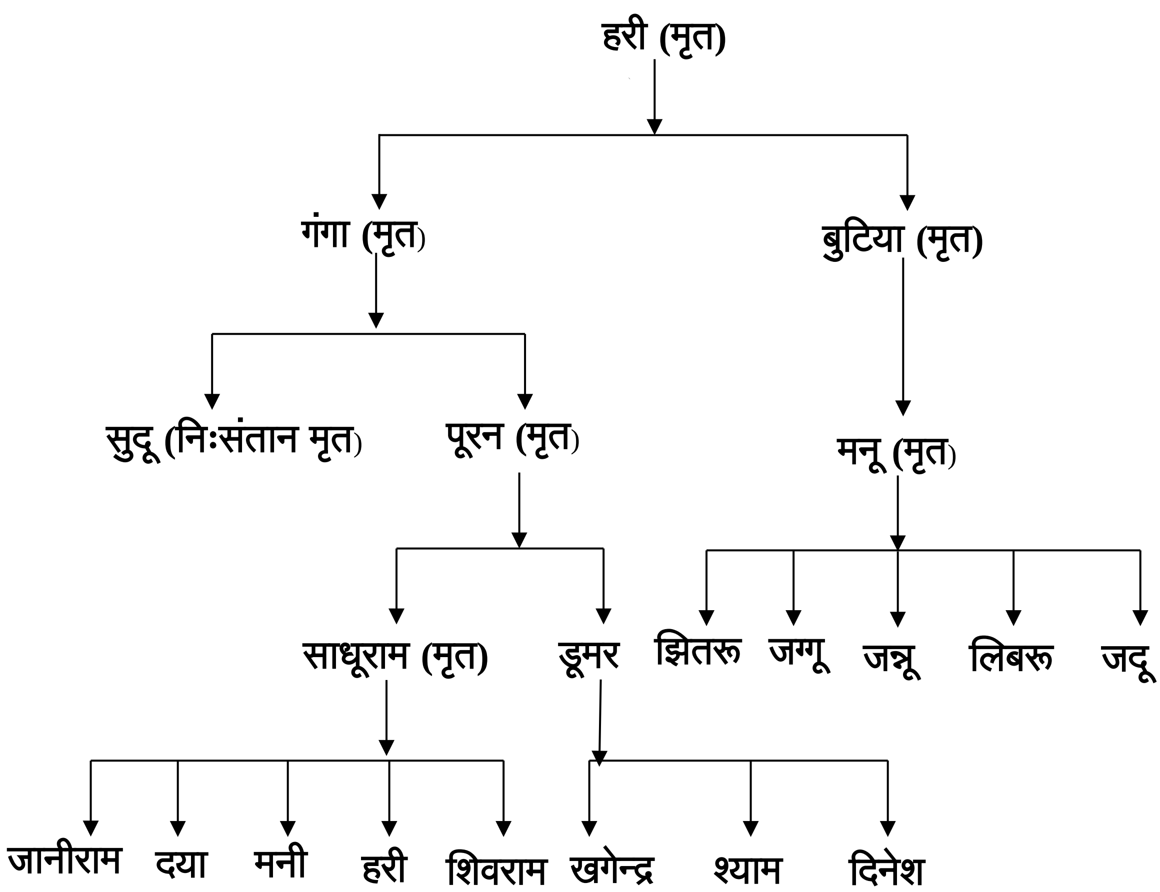

(04)– वादी ने प्रकट किया था कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व० हरी के दो संताने क्रमशः गंगा और बुटिया थे । गंगा के दो पुत्र सुदू और पूरन थे । सुदू के कोई संतान नहीं होने के कारण, वह उसके भाई मनू के पुत्र लिबरु को बाल्यावस्था में ग्रामवासियों के समक्ष गोद पुत्र बनाकर साथ ले आया था । लिबरू बाल्यावस्था से ही सुदू के साथ गोद पुत्र के रूप में निवासरत था तथा सुदू की मृत्यु के पश्चात लिबरु ने ही पुत्र के रूप में उसका अंतिम क्रियाकर्म किया था । वादी ने प्रकट किया है कि सुदू के भाई पूरन के 02 पुत्र साधू राम तथा डूमर थे । प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 साधूराम के संताने हैं ।

(05)– वादी ने प्रकट किया था कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व० हरी के नाम पर उनके जीवनकाल में ग्राम पखनार तहसील दरभा, जिला बस्तर में कुल क्षेत्रफल 48 एकड़ कृषि भूमि दर्ज थी, जो स्व० हरी की स्वअर्जित संपदा थी, जिस पर उनका एकमात्र स्वत्व एवं आधिपत्य था । स्व० हरी ने उनके जीवनकाल में उनके नाम पर दर्ज कृषि संपदा का मौखिक बंटवारा उनके दोनों पुत्रों गंगा और बुटिया के मध्य कर दिया था । मौखिक बंटवारे के अनुसार गंगा और बुटिया उनके आधे–आधे अंश अर्थात 24–24 एकड़ पर आधिपत्य में रहकर कृषि कार्य कर रहे थे । कालांतर में हरी की मृत्यु हो गयी ।

(06)– वादी ने प्रकट किया था कि स्व० गंगा ने भी उनके जीवनकाल में उसके पिता के समान ही परिवार में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो यह देखते हुए उसके दोनों पुत्रों सुदू और पूरन के मध्य पैतृक संपदा का समान मौखिक बंटवारा कर दिया था, जिससे सुदू और पूरन 12–12 एकड़ पर आधिपत्य में

रहकर कृषि कार्य करते रहे । 08–09 वर्ष पूर्व पूरन की मृत्यु हो गयी थी और सुदू की भी मृत्यु हो चुकी है । वादी ने प्रकट किया है कि स्व० सुदू और पूरन के मध्य उनके जीवनकाल में कभी कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ था और वे उनके पिता स्व० गंगा द्वारा किये गये मौखिक बंटवारा के अनुसार उनके पृथक अंशों पर शांतिपूर्ण ढंग से आधिपत्य में रहकर कृषि कार्य कर रहे थे । वादी ने प्रकट किया है कि पूरन की मृत्यु पश्चात उसके पुत्रों साधूराम एवं उसके (वादी डूमर) के मध्य कोई विवाद नहीं था । स्व० पूरन को प्राप्त 12 एकड़ पर दोनों भाई संयुक्त रूप से कृषि करते थे । दोनों भाइयों के विवाह पश्चात परिवार में विवाद होने पर वे पृथक निवास करने लगे । साधूराम और उसने (डूमर) ने पारिवारिक विवाद को देखते हुए निवास स्थान, खान–पान तथा कृषि भूमि का बंटवारा भी गाँव के बुजुर्गों के साथ बैठकर आधे–आधे हिस्से पर दिया था और वे पृथक हो गये थे ।

(07)– वादी डूमर ने प्रकट किया था कि साधूराम की मृत्यु पश्चात उसके पुत्रगण प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 ने उसके हिस्से की संपदा कृषि भूमि 01 एकड़ पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया था और साथ ही प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू के अंश के कृषि भूमि के कुछ अंश पर भी कब्जा कर लिया था । प्रतिवादीगण के पिता स्व० साधूराम तथा उसके वादी (डूमर) के मध्य उनकी पैतृक संपदा का आपसी बंटवारा पूर्व में हो चुका था, जिसके अनुसार वादी वाद संपदा के 06 एकड़ पर शांतिपूर्वक आधिपत्य में था ।

(08)– वादी ने प्रकट किया था कि वाद संपदा पर संशोधन दिनांक 21.10.1989 के अनुसार प्रतिवादीगण द्वारा संशोधन समाविष्ट करवाये जाने की

सूचना वादी को नहीं दी, इस कारण राजस्व अधिकारियों द्वारा किया गया संशोधन क्रमांक–21 दिनांक 21.10.1989 वादी पर बंधनकारी नहीं है । वाद संपदा जो 1989 में जो 04 खसरों में थी, जिसका क्षेत्रफल 23.75 एकड़ था का विस्तृत विवरण अनुसूची अ के रूप में संलग्न है । उक्त संपदा वर्तमान में खसरा अनुसार प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज है, जिसका विस्तृत विवरण अनुसूची ब, स, द, इ, उ एवं ए के रूप में संलग्न है । वादी के अनुसार उसे बंटवारें में 06 एकड़ कृषि भूमि प्राप्त होनी थी, किंतु प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 द्वारा वादभूमि में से उनके हिस्से में अवैध रूप से अधिक भूमि गुप्त रूप से बंटवारा कर कब्जा कर लिया गया है, जो अवैध है । वादी ने वाद प्रस्तुत कर यह अनुतोष चाहा था कि प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज संपदा 06 एकड़ पर वादी का स्वत्व घोषित किया जाकर, उसे प्रतिवादीगण से वाद संपदा 06 एकड़ का आधिपत्य दिलवायी जावे तथा साथ वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध, वादी की वाद संपदा में उसके आधिपत्य में हस्तक्षेप से निषेधित किये जाने हेतु स्थायी व्यादेश जारी किया जावे ।

(09)– विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 द्वारा लिखित कथन एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के अभिवचनों का खंडन करते हुए अस्वीकार किया था कि वादी और प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर रक्त संबंधी है और हिन्दू विधि से शासित होते हैं । प्रतिवादीगण ने प्रकट किया था कि वे मुरिया जनजाति के सदस्य हैं, इस कारण उन पर हिन्दू विधि लागू नहीं होती है और वे बस्तर जिले की स्थानीय, जनजाति परंपरा और रिवाजों से शासित होते हैं । **प्रतिवादीगण** द्वारा निम्नानुसार **वंशावली** प्रस्तुत की गयी है :–

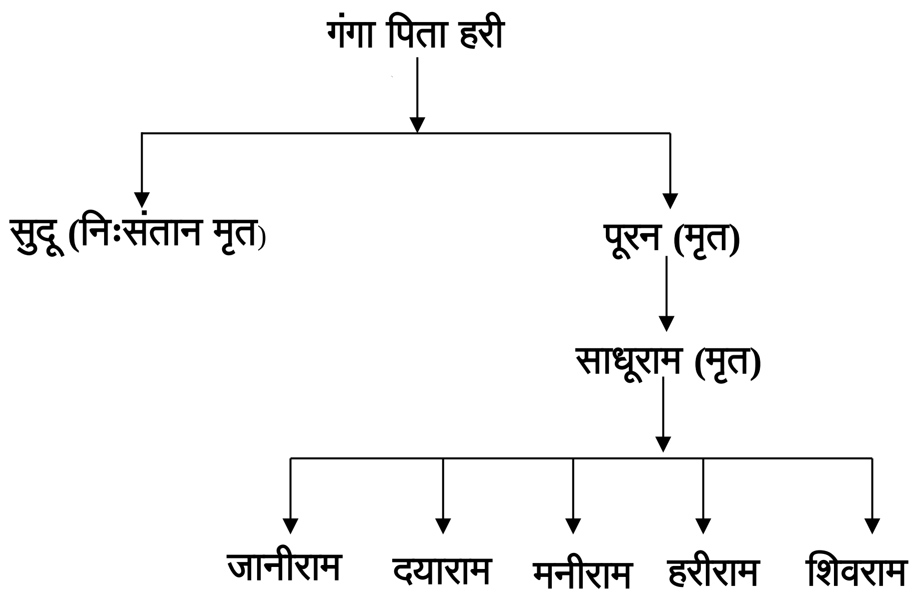

(10)– प्रतिवादीगण ने अभिवचनों में यह भी अस्वीकार किया था कि वादी और प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व० हरी के 02 संताने गंगा और बुटिया थे । यद्यपि प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है कि गंगा के 02 पुत्र सुदू और पूरन हुये थे । प्रतिवादीगण ने अस्वीकार किया है कि सुदू के कोई संतान न होने के कारण उसने उसके भाई मनू के पुत्र लिबरू को बाल्यावस्था में ग्रामवासियों के समक्ष गोद पुत्र बनाकर रख लिया था और लिबरू बाल्यावस्था से ही गोद पुत्र के रूप में निवासरत था । प्रतिवादीगण ने यह भी अस्वीकार किया है कि सुदू के मृत्यु पश्चात लिबरू द्वारा पुत्र के रूप में अंतिम क्रियाकर्म किया गया है ।

(11)– प्रतिवादीगण ने अभिवचनों में प्रकट किया है कि उनके पूर्वज गंगा के 02 पुत्र सुदू और पूरन है । सुदू की निःसंतान मृत्यु हो चुकी है तथा छोटू पुत्र पूरन के पुत्र साधूराम के 05 पुत्र प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 तथा 03 पुत्रियाँ सुकरी, मारे तथा लखमी है, जिनका विवाह हो चुका है । प्रतिवादीगण के अनुसार प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरु का सुदू, पूरन तथा प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 के साथ कोई

कौटुम्बिक संबंध नहीं था । लिबरू के पिता का नाम मनू है । लिबरू को सुदू एवं पूरन द्वारा खेत में कृषि कार्य करने के लिए नौकर रखा गया था । प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू ने पूरन की मृत्यु का लाभ उठाते हुए, कूटरचना करते हुए वाद संपदा पर, सुदू जो निःसंतान मृत हुआ था का स्वयं को पुत्र बताकर राजस्व अधिकारियों के समक्ष मिथ्या कथन कर उसका नाम दर्ज करवा लिया गया है, जबकि प्रतिवादी क्रमांक–06 का सुदू या पूरन से कोई कौटुम्बिक संबंध नहीं था । इस कारण प्रतिवादी क्रमांक–06 का नाम राजस्व अभिलेखों से विलोपित किया जाना आवश्यक है । प्रतिवादीगण ने यह भी प्रकट किया था कि पूरन का एकमात्र पुत्र साधूराम है, जिसकी संताने प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 है तथा वादी डूमर का पूरन या साधूराम से कोई कौटुम्बिक संबंध नहीं रहा है ।

(12)– प्रतिवादीगण ने अस्वीकार किया था कि वादी और प्रतिवादीगण के पूर्वज स्व० हरी के नाम पर ग्राम पखनार तहसील दरभा में 48 एकड़ कृषि भूमि दर्ज थी । प्रतिवादीगण ने प्रकट किया है कि वाद संपदा गंगा पिता हरी के स्वअर्जित संपदा है, जिसे गंगा द्वारा उसके नाम पर अर्जित कर राजस्व अभिलेखों में नाम दर्ज करवाया गया था, जिसकी पुष्टि वर्ष 1932–33 के मेंटनेंस जमाबंदी से होती है । प्रतिवादीगण ने प्रकट किया था कि गंगा की मृत्यु उपरांत संपदा राजस्व अभिलेखों में बस्तर रियासत के प्रचलित विधान के अनुसार गंगा के बड़े पुत्र सुदू के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज की गयी, जिसकी पुष्टि वर्ष 1945–46 की किश्तबंदी गिरदावली जमाबंदी से होती है । सुदू की मृत्यु उपरांत प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरु द्वारा, प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 के अज्ञानता का लाभ

उठाकर, अन्य जाति के व्यक्ति मंगलू का नाम वाद संपदा के राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 की जानकारी के बिना दर्ज करवा लिया था । प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 को इस तथ्य की जानकारी वादी डमरू और प्रतिवादी क्रमांक–06 द्वारा तहसीलदार दरभा के समक्ष नामांतरण का वाद संस्थित किये जाने की तिथि को हुआ था । नामांतरण आवेदन को तहसीलदार द्वारा दिनांक 31.05.2013 को निरस्त किये जाने के कारण वाद संपदा पर वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक–06 का कोई अधिकार नहीं है ।

(13)– प्रतिवादीगण ने प्रकट किया है कि बुटिया का पिता मनू है तथा मनू ग्राम छिंदवाड़ का निवासी है । प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू एवं बुधू दोनों ही बुटिया के पुत्र है, ने आपस में राजस्व अधिकारियों के साठ–गाठ कर प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 की जानकारी के बिना राजस्व अभिलेख में कूटरचना करते हुए उनका नाम दर्ज करवा दिया गया है, वे वाद संपदा पर कभी भी आधिपत्य में नहीं रहे हैं । प्रतिवादीगण ने प्रकट किया है कि वाद संपदा का बंटवारा सुदू और पूरन के मध्य कभी नहीं हुआ है । सुदू निःसंतान होने के कारण उसके भाई पूरन के पुत्र साधूराम के पुत्रों प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 के साथ रहता था तथा सुदू की मृत्यु उपरांत उसका क्रियाकर्म भी पूरन एवं उसके पुत्रगण द्वारा किया गया है । प्रतिवादीगण ने स्वीकार किया है कि वाद संपदा पर सुदू और पूरन द्वारा मौखिक रूप से उनका हिस्सा पृथक कर, पृथक–पृथक हिस्से पर कृषि करते थे, किंतु उनके मध्य विधिक रूप से बंटवारा नहीं हुआ था । सुदू के निःसंतान होकर बीमार हो जाने पर प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 उसे कमाकर देते थे । प्रतिवादीगण ने

अस्वीकार किया है कि साधूराम की मृत्यु पश्चात उसके पुत्रगण तथा प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 द्वारा बलपूर्वक वादी के हिस्से की संपदा की कृषि भूमि के 01 एकड़ पर तथा प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू के हिस्से की संपदा भूमि के 01 एकड़ अंश पर जबरन कब्जा कर लिया है । प्रतिवादीगण ने अस्वीकार किया है कि प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 के पिता स्व० साधूराम तथा वादी डूमर के मध्य पूर्व में ही पैतृक संपदा का आपसी बंटवार हो चुका था तथा बंटवारा के अनुसार वादी वाद संपदा के 06 एकड़ पर आधिपत्य था ।

(14)– प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 के अनुसार वाद संपदा पर वादी का वाद हेतुक वर्ष 1989 में उत्पन्न होना मान लिये जाने पर भी वादी द्वारा समय सीमा के भीतर वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है । वादी का वाद समय–सीमा से बाधित होकर अप्रचलनशील है । प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 द्वारा वाद संपदा पर वादीगण के स्वत्व की घोषणा कर उनके आधिपत्य की पुष्टि करते हुए, उनके स्वत्व की संपदा पर वादी को हस्तक्षेप से रोके जाने हेतु वादी के विरूद्ध स्थायी आदेश जारी किये जाने की माँग की गयी थी ।

(15)– विचारण न्यायालय के समक्ष **प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू** के द्वारा पृथक से लिखित कथन प्रस्तुत कर, वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त अभिवचनों को स्वीकार किया गया था ।

(16)– प्रकरण में **प्रतिवादी क्रमांक–07 छ०ग० शासन** की उपस्थिति हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–07 पर समंस की सम्यक तामिली करवाये जाने के उपरांत भी दिनांक 02.04.2016 को प्रतिवादी क्रमांक–07 की ओर से

प्रतिनिधित्व हेतु किसी अधिवक्ता के उपस्थिति न होने पर प्रतिवादी क्रमांक–07 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया था ।

(17)– प्रकरण में **प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05** द्वारा **प्रस्तुत प्रतिदावे के उत्तर में वादी ने** प्रतिदावे में प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 द्वारा प्रकट किये गये समस्त अभिवचनों का पूर्णतः खंडन किया है । वादी ने अंशतः यह स्वीकार किया है कि वाद संपदा का मौखिक बंटवारा सुदू और पूरन के मध्य हुआ था, किंतु वादी ने अस्वीकार किया है कि सुदू के निःसंतान और बीमार हो जाने पर, प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 उसकी संपदा को कमाते थे । वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावे का समुचित मूल्यांकन कर उचित न्यायालय शुल्क चस्पा नहीं किये जाने के कारण प्रतिदावा अप्रचलनशील होने के आधार पर, प्रतिदावा निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया था ।

(18)– विचारण न्यायालय द्वारा, वादी के वाद पत्र, प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 के लिखित कथन एवं प्रतिदावे, प्रतिवादी क्रमांक–06 के लिखित कथन एवं संलग्न प्रलेखों के अवलोकन पश्चात्, व्यवहार वाद और प्रतिदावे के निराकरण हेतु निम्नानुसार **विवाद्यक** विरचित किये गये थे–

क्र.	विवाद्यक
1.	क्या प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू स्व० सुदू का गोदपुत्र है ?
2.	क्या वादी डूमर स्व० गंगा के पुत्र स्व० पूरन का पुत्र है ?
3.	क्या स्व० साधूराम एवं डूमर ने वादभूमि सहित अपनी सम्पत्तियों का आपस में बंटवारा कर लिया था ?
4.	क्या प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 ने वादी की कृषि भूमि रकबा 06 एकड़ पर जबरन कब्जा कर लिया है ?

5.	क्या वादी को वाद प्रस्तुति हेतु कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है ?
6.	क्या वादी वादभूमि का स्वत्वाधिकारी है ?
7.	क्या वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अवधि बाह्य है ?
8.	क्या वादी द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर, उचित न्याय शुल्क चस्पा किया गया है ?
9.	सहायता एवं व्यय ।

(19)– विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा स्वयं को **डूमर (वा०सा० 01)** तथा वादी साक्षीगण **जगत (वा०सा० 02), बोरगा (वा०सा० 03), सोमारू (वा०सा० 04), हरीराम (वा०सा० 05)** एवं **हीरामणी त्रिपाठी (वा०सा० 06)** को परीक्षित करवाया गया है ।

(20)– इसी प्रकार **प्रतिवादी क्रमांक–01 से** 05 की ओर से **प्रतिवादी साक्षी के रूप में प्रतिवादी क्रमांक–05 शिवराम (प्रति०सा० 01) ने स्वयं को एवं झितरु (प्रति०सा० 02)** को परीक्षित करवाया है । **प्रतिवादी क्रमांक**–06 **लिबरू** की ओर से स्वयं को प्रतिवादी साक्षी के रूप में परीक्षित करवाया गया है ।

(21)– वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित **प्रलेखों** को प्रदर्शित करवाया है:–

क्र.	**प्रलेख**	**प्रदर्श**
1.	वादग्रस्त भूमि से संबंधित किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2017–18 की सत्यप्रतिलिपि ।	**प्रदर्श पी–01**
2.	वादग्रस्त भूमि से संबंधित किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2017–18 की सत्यप्रतिलिपि ।	**प्रदर्श पी–02**
3.	वादी द्वारा शाला में दाखिला के संबंध में प्रधान अध्यापक द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति ।	**प्रदर्श पी–03**
4.	वादी की शाला की दाखिल खारिज पंजी की सत्यप्रतिलिपि ।	**प्रदर्श पी–04**

(22)– विचारण न्यायालय के समक्ष **प्रतिवादीगण** द्वारा साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित **प्रलेखों** को प्रदर्शित करवाया गया है –

क्र.	प्रलेख	प्रदर्श
1.	छिंदबहार स्थित मनू की भूमि से संबंधित खसरा पांचशाला की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–01
2.	झितरु, जनू, लिबरू एवं अन्य के सम्मिलित खाते की भूमि से संबंधित वर्ष 2014–15 के किश्तबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–02
3.	झितरु, जनू, लिबरू एवं अन्य के सम्मिलित खाते की भूमि से संबंधित वर्ष 2014–15 की खसरा पांचशाला की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–03
4.	वादभूमि से संबंधित नक्शों की सत्यप्रतिलिपियाँ ।	प्रदर्श डी.–04 से 07
5.	प्रतिवादीगण के वंशावली के संबंध में पटवारी द्वारा प्रस्तुत किये गये जाँच प्रतिवेदन की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–08
6.	प्रतिवादीगण के वंशावली के संबंध में पटवारी द्वारा तैयार किये गये पंचनामा की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–09
7.	मनू पिता बुटिया के वंशावली के संबंध में पटवारी द्वारा तैयार किये गये वंशवृक्ष पंचनामा की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–10
8.	तहसीलदार दरभा द्वारा पारित नामांतरण आदेश की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–11
9.	वादभूमि के संबंध में खाता बंटवारा जानकारी की सत्यप्रतिलिपि।	प्रदर्श डी.–12
10.	तहसीलदार दरभा द्वारा दिनांक 31.05.2013 को पारित नामांतरण आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण पर अपर कलेक्टर बस्तर द्वारा पारित आदेश की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–13
11.	वादी के पिता पूरन एवं प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05, प्रतिवादी क्रमांक–06 तथा अन्य के विरूद्ध सम्मिलित खाते से संबंधित भूमि से संबंधित खसरा पांचशाला की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–14
12.	प्रतिवादीगण के पूर्वज पूरन, सुदू के संयुक्त खाते के 04 खसरों से संबंधित किश्तबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–15
13.	प्रतिवादीगण के पूर्वज पूरन, सुदू के संयुक्त खाते के 04 खसरों से संबंधित किश्तबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–16

14.	प्रतिवादीगण के पूर्वज पूरन, सुदू के संयुक्त खाते के 04 खसरों से संबंधित किश्तबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–17
15.	प्रतिवादीगण के पूर्वज पूरन, सुदू के संयुक्त खाते के 04 खसरों से संबंधित किश्तबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–18
16.	प्रतिवादीगण के पूर्वज पूरन, सुदू के संयुक्त खाते के 04 खसरों से संबंधित किश्तबंदी खतौनी की सत्यप्रतिलिपि ।	प्रदर्श डी.–19

(23)– विचारण न्यायालय द्वारा, वादी, प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 तथा प्रतिवादी क्रमांक–06 द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के अवलोकन करने के पश्चात, वादी द्वारा प्रस्तुत **व्यवहार वाद** तथा प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 द्वारा प्रस्तुत **प्रतिदावे को अस्वीकार** किया गया है, जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–06 द्वारा **निम्नलिखित आधारों पर** वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है :–

1– विचारण न्यायालय ने, 30 वर्ष से अधिक पुराने दस्तावेज जिसमें प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू, पिता सुदू होना लिखा गया है, को स्व० सुदू का पुत्र लिबरू होने का पुत्र न मानकर गंभीर त्रुटि की है ।

2– वाद संपदा के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज **खसरा पांचशाला 1990–91 प्र०डी० 14, किश्तबंदी खतौनी बी–01 वर्ष 1979–80 प्र०डी० 15, किश्तबंदी खतौनी बी–01 वर्ष 1993–94 प्र०डी० 16 से प्र०डी० 19**, 30 वर्ष पुराने प्रमाणित लोक दस्तावेज हैं, जो उचित अभिरक्षा में रखे गये हैं । ऐसे दस्तावेजों की सत्यता न मानकर प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू को स्व० सुदू का गोदपुत्र न मानकर त्रुटि की गयी है ।

3– प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि 05 वर्ष की आयु में उसे कोटवार, पटेल आदि व्यक्तियों के समक्ष सुदू द्वारा गोद लिया गया था । सुदू और उसकी पत्नी सोमारी ने मुरिया

रीति रिवाज से नैसर्गिक पिता मनू तथा लिबरू की माँ से अनुमति लेकर उसे गोद लिया गया था, जिसका खंडन प्रतिपरीक्षण में नहीं किया गया है । इस कारण भी लिबरु को सुदू का गोदपुत्र प्रमाणित नहीं पाये जाने के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिया गया है ।

4– मुरिया जाति में लिखित गोदनामा होने संबंधी तथा लिखित में गोदनामे का रिवाज होने संबंधी तथ्य को प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 द्वारा प्रकट नहीं किया गया है । इसी प्रकार वादी साक्षी ने भी सुदू का पुत्र न होने पर उसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू को गोद लिये जाने संबंधी तथ्य का खंडन नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में भी प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू को स्व० सूदू का गोदपुत्र न मानकर गंभीर त्रुटि की गयी है ।

5– प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 द्वारा, प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू का सुदू के पुत्र न होने के संबंध में तहसील दरभा या कहीं भी आपत्ति नहीं की गयी थी । प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू पिता सुदू का नाम पूरन पिता गंगा एवं प्रतिवादीगण के साथ सम्मिलित खाते में वर्ष 1993–94 एवं उसके पूर्व भूमि स्वामी के रूप में दर्ज था । इसी प्रकार सम्मिलित खाते की भूमि का बंटवारा प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 और लिबरू के पिता सुदू के मध्य बंटवारा प्र०डी० 12 के अनुसार किया गया था, जिसके द्वारा लिबरू पुत्र सुदू को बंटवारे में भूमि दिये जाने पर, प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति नहीं की गयी थी, इस कारण प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05, लिबरू प्रतिवादी क्रमांक–06 को गोदपुत्र नहीं होना, नहीं कह सकते ।

(24)– **अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–06** द्वारा उपरोक्त आधारों पर अपील प्रस्तुत कर विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं पारित आज्ञप्ति

दिनांक 20.09.2022 को **अपास्त** करते हुए विचारण न्यायालय के विवाद्यक क्रमांक–01, जिसके अनुसार प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू को स्व० सुदू का गोदपुत्र प्रमाणित नहीं पाये जाने का निष्कर्ष दिया गया है, को निरस्त किये जाने का अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है ।

(25)– **अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–06** द्वारा प्रस्तुत सिविल अपील के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित **विचारणीय बिन्दु** हैं :–

1– क्या, स्व० सुदू द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू की बाल्यावस्था में उसे गोद लिये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू, स्व० सुदू का गोदपुत्र है ?

2– क्या, विचारण न्यायालय– द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 बस्तर, स्थान–जगदलपुर (छ.ग.) द्वारा **व्यवहार वाद क्र.–08 अ/2016** में दिनांक 20.09.2022 को घोषित निर्णयानुसार, विवाद्यक क्रमांक–01 के संबंध में, प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू के स्व० सुदू का गोदपुत्र प्रमाणित नहीं होने के संबंध में लिया गया निष्कर्ष, विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर **निरस्त** किये जाने योग्य है ?

(26)– प्रथम सिविल अपील के समुचित निराकरण हेतु विचारण न्यायालय के **व्यवहार वाद क्र.–08 अ/2016** के मूल अभिलेख को आहूत कर, संपूर्ण अभिलेख एवं घोषित आलोच्य निर्णय का सूक्ष्म अवलोकन किया गया । प्रस्तुत मूल सिविल अपील के संबंध में उभय पक्ष के अंतिम तर्क श्रवण किये गये। ऊपर वर्णित विचारणीय बिन्दुओं पर मेरे सविचार निष्कर्ष निम्नानुसार हैं–

–:: विचारणीय बिन्दु क्र.–01 पर सकारण निष्कर्ष ::–

(27)– स्व० सुदू द्वारा प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू की बाल्यावस्था में उसे गोद लिये जाने के कारण प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू, स्व० सुदू का गोदपुत्र होने के संबंध में, विरचित विचारणीय बिन्दु क्र.–01 को प्रमाणित करने भार स्वयं प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू पर था ।

(28)– प्रकरण में **प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरु** द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पृथक लिखित कथन में उल्लेखित अभिवचनों की पुष्टि करते हुए, शपथ पत्र पर प्रस्तुत मुख्य परीक्षण अंतर्गत आदेश 18 नियम 04 सी०पी०सी० में प्रकट किया है कि वह ककनार निवासी होकर मुरिया जाति का सदस्य है और मुरिया रीति रिवाजों का पालन करता है । उसके दादा 02 भाई थे गंगा और बुटिया, जिनके पिता हरी थे । गंगा के 02 पुत्र सुदू और पूरन थे । सुदू की कोई संतान नहीं होने के कारण, सुदू और सूदू की पत्नी सोमारी ने मुरिया रीति रिवाज के अनुसार उसे उसके नैसर्गिक पिता मनू और नैसर्गिक माँ से अनुमति प्राप्त कर, सुदू का गोदपुत्र बनवाया था । सुदू ने तब से उसे (लिबरू को) उसके साथ रखा था और वह सुदू के घर में निवासरत था । सुदू और उसकी पत्नी सोमारी ने ही उसका पालन पोषण कर विवाह करवाया था तथा उनकी मृत्यु पश्चात उसने ही उनका क्रियाकर्म किया था । साक्षी ने साक्ष्य के दौरान वादभूमि के संबंध में खसरा पाँचशाला वर्ष 1990–91 की सत्यापित प्रतिलिपि **प्र०डी० 14**, किश्तबंदी खतौनी बी–01 वर्ष 1979–80 की प्रमाणित प्रतिलिपि **प्र०डी० 15**, किश्तबंदी खतौनी बी–01 वर्ष 1993–94 की प्रमाणित

प्रतिलिपि 04 पृष्ठों में **प्र०डी० 16 से प्र०डी० 19** को प्रस्तुत किया है । **प्र०डी० 04** के **खसरा पाँचशाला** के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि राजस्व अभिलेखों में पूरन पिता गंगा, लिबरू पिता सुदू तथा जानीराम, मनीराम, हरीराम, शिवराम (प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05) पिता साधूराम उल्लेखित है । इसी प्रकार साक्षी द्वारा प्रस्तुत किश्तबंदी खतौनी बी–01 की प्रमाणित प्रति **प्र०डी० 16** तथा **प्र०डी० 19** के सूक्ष्म अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त राजस्व दस्तावेजों में लिबरू पिता सुदू उललेखित है ।

(29)– उल्लेखनीय है कि **साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका–11 में स्वीकार किया है कि उसने प्रकरण में उसका आधार कार्ड और मतदाता परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ।** साक्षी ने अस्वीकार किया है कि मुरिया जनजाति में गोद लेने की प्रथा नहीं है । यद्यपि साक्षी ने प्रकट किया है कि सुदू ने उसे गोद लिया था । उसे गोद लेने के लिए छट्ठी और नामकरण किया गया था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि गोद लेने के संबंध में उसकी आयु 05 वर्ष थी और गोद लेने के लिए लिखा–पढ़ी नहीं हुई थी । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की **कंडिका–12** में यह भी स्वीकार किया है कि उसके नैसर्गिक पिता का नाम मनू है । उसका गोदनामा ग्राम छिंदबहार में हुआ था, जिसमें ग्राम ककनार के लोग, पटेल और कोटवार गये थे । साक्षी ने प्रकट किया है कि गोदनामा कार्यवाही में गाँव के 04–05 लोग जिनका नाम बली, गडरू और मालगुजार लोग आये थे, जिनका नाम वह नहीं जानता । साक्षी ने गोदनामा कार्यवाही में बली पुजारी और कोटवार पूजा किया जाना भी प्रकट किया है । गोदनामा के समय केसाला, आम पत्ता,

नारियल आदि भी लाया गया था । इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक–06 ने उसकी 05 वर्ष की अवस्था में उसे सुदू द्वारा गोद लिया जाना प्रकट किया है, किंतु साक्षी ने इस संबंध में गोदनामा संबंधी कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है और साथ ही गोदनामा कार्यवाही में उपस्थित किसी कोटवार, पुजारी, गाँव के ग्रामीण को परीक्षित नहीं करवाया है ।

(30)– प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष **वादी डूमर (वा०सा० 01), वादी साक्षी बोरगा (वा०सा० 02), झितरू (प्रति०सा० 02)** ने शपथपूर्वक कथनों अंतर्गत आदेश 18 नियम 04 सी०पी०सी०, में प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू के कथनों की पुष्टि करते हुए प्रकट किया है कि सुदू का कोई पुत्र न होने पर, उसने लिबरू की बाल्यावस्था में ग्रामवासियों के समक्ष उसे मनू से विधिवत गोद लिया था । साक्षी **डूमर (वा०सा० 01)** ने प्रतिपरीक्षण की **कंडिका–12** में स्वीकार किया है कि सुदू द्वारा लिबरू को उसके पिता मनू से गोद लिये जाने के संबंध में उसने भी कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया है । यद्यपि **वादी साक्षी बोरगा (वा०सा० 02)** ने मुख्य परीक्षण से भिन्न कथन करते हुए प्रतिपरीक्षण की **कंडिका–07** में स्वीकार किया है कि उसके शपथपूर्वक कथन में क्या लिखा है, वह नहीं जानता । साक्षी ने सुदू को भी थोड़ा–थोड़ा जानना प्रकट किया है । इस प्रकार वादी साक्षी बोरगा द्वारा मुख्य परीक्षण में किये गये कथनों की स्वयं प्रतिपरीक्षण में पुष्टि नहीं किये जाने के कारण, लिबरू को सुदू द्वारा मनू से गोद लिये जाने की समुचित पुष्टि नहीं होती है । **प्रतिवादी साक्षी झितरू (प्रति०सा० 02)** ने प्रतिपरीक्षण की **कंडिका–12** में उसे इस बात

की जानकारी नहीं होना प्रकट किया है कि मुरिया जाति में गोद लेने की प्रथा है या नहीं । साक्षी ने गोदनामा की प्रक्रिया किये जाने के समय लिबरू की आयु 08 वर्ष होना प्रकट किया है । साक्षी ने गोदनामा की प्रक्रिया में खाना–पीना और नशा होना और उसके बाद लिबरू का नामकरण होना प्रकट किया है । यद्यपि इस साक्षी द्वारा भी गोदनामा के संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रलेख (गोदनामा) प्रस्तुत नहीं किया है ।

(31)– इसके विपरीत **प्रतिवादी क्रमांक–05 शिवराम (प्रति०सा० 01)** ने शपथ पत्र पर प्रस्तुत मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू का सुदू पिता साधूराम से और उनसे भी कोई कौटुम्बिक संबंध नहीं है । लिबरू के पिता का नाम मनू है, जिसे सुदू और पूरन ने खेत में काम करने के लिए कमियाँ (नौकर) बनाकर रखा था । साक्षी ने साक्ष्य के दौरान **प्र०डी० 10 की वंशावली** प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि मनू को बुटिया का पुत्र होना दर्शाया गया है । इसी प्रकार साक्षी ने साक्ष्य के दौरान **प्र०डी० 09** का **पंचनामा** दिनांक 21.06.2011 को भी प्रस्तुत किया है, जो ग्राम ककनार का है, जिसे ग्राम कोटवार, पटेल, ग्रामवासियों की जानकारी के पश्चात तैयार किया गया है । **प्र०डी० 09** के पंचनामा के अवलोकन से भी यह दर्शित है कि वर्ष 2011 में सुदू को निःसंतान होना दर्शाया गया है । ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू का सुदू का गोदपुत्र होने की भी पुष्टि नहीं होती है ।

(32)– इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू तथा प्रतिवादी क्रमांक–

01 से 05 तथा वादी डूमर द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू ने वादभूमि के संबंध में 1990–91 की **खसरा पाँचशाला की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी० 14** तथा वर्ष 1993–94 की **किश्तबंदी खतौनी बी–01 की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्र०डी० 16** से **प्र०डी० 19** तक प्रस्तुत कर, यह दर्शित किया है कि 30 वर्ष पूर्व राजस्व अभिलेखों में लिबरू पिता सुदू एवं अन्य के नाम से सम्मिलित खाते में वादभूमि दर्ज होना दर्शित है । प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू ने धारा–92 भा०सा०अधि० के प्रावधान के अनुसार 30 वर्ष पुराने प्रलेख के संबंध में न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रलेख के समुचित रूप से निष्पादित या अनुप्रमाणित होने की उपधारणा किया जा सकना प्रकट किया है ।

(33)– इसके विपरीत प्रतिवादीगण द्वारा वर्तमान वर्ष 2014–15 की वादभूमि से संबंधित **किश्तबंदी खतौनी बी–01 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी० 02**, वर्ष 2015–16 की **खसरा पाँचशाला की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०डी० 03** तथा वादभूमि के संबंध में **खसरा नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्र०डी० 03** से **प्र०डी० 07** तक प्रस्तुत किये हैं, जिनके अवलोकन से ही राजस्व अभिलेखों में, प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू का पिता सुदू न होकर मनू होना दर्शाया गया है । स्वयं प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू ने ही प्रतिपरीक्षण की **कंडिका–12** में उसके नैसर्गिक पिता का नाम मनू होना स्वीकार किया है । उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू ने स्वयं को ग्राम ककनार निवासी होना प्रकट किया है । प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत **प्र०डी० 08 का पंचनामा** प्रलेख

के अवलोकन से यह दर्शित है कि दिनांक 21.06.2011 को तहसीलदार दरभा के आदेशानुसार पटवारी द्वारा ग्राम ककनार में उपस्थित होकर वंशावली के संबंध में मृतक गंगा की वंशावली ग्राम कोटवार, पटेल और ग्रामवासियों से पूछकर तैयार की गयी है। इसी वंशावली में सुदू को वर्ष 2011 में भी निःसंतान मृत होना दर्शित किया गया है। वर्ष 2011 में तैयार की गयी वंशावली में भी निःसंतान मृत सुदू का कोई गोद पुत्र लिबरू होना दर्शित नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने **वंशवृक्ष पंचनामा संबंधी प्रलेख प्र०डी० 10** प्रस्तुत किया गया है, जिसे ग्राम छिंदवाड़ के पटवारी दिनांक 30.01.2013 को तैयार किया गया है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1942–43 की मिशल के अनुसार पटवारी द्वारा मनू पुत्र बुटिया की तैयार की गयी वंशावली में मनू के 07 पुत्रों में प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू को दर्शाया गया है।

(34)– इस प्रकार स्पष्ट है कि उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू का पिता उसके नैसर्गिक पिता मनू को ही दर्शाया गया है तथा लिबरू को मृत सुदू का गोद पुत्र होना नहीं दर्शाया गया है। वर्ष 1993–94 की किश्बंदी बी–01 संबंधी प्रलेखों में लिबरू पिता सुदू का उल्लेख होने मात्र के आधार पर, लिबरू को सुदू का गोदपुत्र होना प्रमाणित नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि वादी डूमर एवं अन्य प्रतिवादीगण के साथ प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू द्वारा भी वर्ष 2009–10 में वादभूमि के राजस्व अभिलेखों में उनका नाम भी वादग्रस्त कृषि संपदा पर दर्ज किये जाने हेतु नामांतरण आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे

तहसीलदार दरभा द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक/02/अ–6/2009–10 में दिनांक 31.05.2013 को अस्वीकृत किया गया है, जिसकी पुष्टि **आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्र०डी० 11** के अवलोकन से होती है । प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू द्वारा ऐसे नामांतरण आदेश को कोई चुनौती भी नहीं दी गयी है । ऐसी स्थिति में समस्त राजस्व अभिलेखों के समग्र अवलोकन से भी प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू का सुदू का गोदपुत्र होना प्रमाणित नहीं होता है ।

(35)– जहाँ तक प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू को उसके बाल्यावस्था में उसकी 05 वर्ष की आयु में, सुदू द्वारा निःसंतान होने के कारण, लिबरू के नैसर्गिक पिता मनू से अनुमति प्राप्त कर, विधिवत गोद लिया जाकर गोदपुत्र बनाये जाने का प्रश्न है, वहाँ उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू ने गोद लिये जाने के संबंध में किसी प्रकार का गोदनामा संबंधी प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । वादी साक्षी बोरगा (वा०सा० 02) तथा प्रतिवादी साक्षी झितरू (प्रति०सा० 02) ने भी लिबरू को मनू से गोद लिये जाने के संबंध में गोदनामा प्रस्तुत नहीं किये जाने की पुष्टि की है । उल्लेखनीय है कि **न्यायिक विनिश्चय – मोतुरू नलिनी कंठ विरूद्ध गैनिदी कालीप्रसाद (द्वारा मृत प्रतिनिधिगण) सिविल अपील नंबर–2435/2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने यह मत अभिनिर्धारित किया है कि गोद लिये जाने संबंधी तथ्य को कठोरतम प्रमाण के माध्यम से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है । गोद लिये जाने और गोद दिये जाने के संबंध में विधिवत औपचारिकताएँ पूर्ण किया जाना समुचित साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित किया जाना आवश्यक है । इसके अभाव

में किसी व्यक्ति को प्रचलित धार्मिक परंपराओं, रीति रिवाजों की मान्यताओं के अनुसार विधिवत गोद लिया जाना नहीं कहा जा सकता । वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू उसे उसकी बाल्यावस्था में विधिवत गोद लिया जाना समुचित मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है । **अतः विचारणीय बिन्दु क्र.–01 का निष्कर्ष–प्रतिवादी क्रमांक–01 के पक्ष में तथा प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू एवं वादी डूमर के विरूद्ध नकारात्मक –"नहीं" में होना प्रमाणित पाया जाता है ।**

–:: विचारणीय बिन्दु क्र.–02 पर सकारण निष्कर्ष ::–

(36)– **विचारण न्यायालय– द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 बस्तर, स्थान–जगदलपुर (छ.ग.)** द्वारा **व्यवहार वाद क्र.–08 अ/2016** में दिनांक 20.09.2022 को घोषित निर्णयानुसार, विवाद्यक क्रमांक–01 के संबंध में, प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू के स्व० सुदू का गोदपुत्र प्रमाणित नहीं होने के संबंध में लिया गया निष्कर्ष, विधि एवं तथ्यों के विपरीत होकर **निरस्त** किये जाने योग्य होने संबंधी, **विरचित विचारणीय बिन्दु क्र.–02 को प्रमाणित करने का भार भी प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू पर था ।**

(37)– प्रकरण में **प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू**, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य के माध्यम से यह प्रमाणित करने में **असफल** रहा था कि, ग्राम ककनार, तहसील जगदलपुर, जिला बस्तर (छ.ग.) स्थित वादभूमि जिसे वादपत्र में संलग्न अनुसूची "अ" में दर्शित किया गया है, के पूर्व सहस्वामी सुदू का प्रतिवादी क्रमांक–06 गोदपुत्र है, जिसे उसके

बाल्यावस्था में सुदू द्वारा, लिबरू के नैसर्गिक पिता मनू से अनुमति प्राप्त कर, विधिवत प्रचलित परंपराओं, रीति–रिवाजों के अनुसार ग्राम ककनार के कोटवार, पटेल और अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में गोद लिया जाकर गोदपुत्र बनाया गया था । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा, प्रतिवादी क्रमांक–06 लिबरू को सुदू का गोदपुत्र प्रमाणित नहीं पाये जाने के संबंध में विवाद्यक क्रमांक–01 का निष्कर्ष पूर्णतः **विधि सम्मत** हैं और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने के कारण, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.09.2022 को घोषित निर्णय एवं पारित आज्ञप्ति की पुष्टि की जाती है । अतः

–:: आज्ञा ::–

1.– अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–06 द्वारा प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील अंतर्गत **धारा 96 सपठित आदेश 41 नियम 01 सी.पी.सी.** **"अस्वीकार"** की जाती है ।

2.– **अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–06** स्वयं अपना तथा उत्तरवादी क्रमांक–06/वादी एवं उत्तरवादी क्रमांक–01 से 05/प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 का वाद व्यय वहन करेगा ।

3.– अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार जो भी न्यून हो, दिया जावे ।

उपरोक्तानुसार अपील आज्ञप्ति तैयार की जावे ।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

SHAILESH ACHYUT PATWARDHAN
Digitally signed by SHAILESH ACHYUT PATWARDHAN
Date: 2026.08.13 17:26:05 +0530

SHAILESH ACHYUT PATWARDHAN
Digitally signed by SHAILESH ACHYUT PATWARDHAN
Date: 2026.08.13 17:26:12 +0530

न्यायालय–जिला न्यायाधीश एफ.टी.सी. बस्तर स्थान–जगदलपुर छ.ग.

[पीठासीन अधिकारी – शैलेश अच्युत पटवर्धन]

सिविल अपील क्र.–39 अ/2025.
संस्थित दिनांक–16.06.2025.

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL SUIT
(Code of Civil procedure 1908, order XLI, rule 35)

लिबरु पिता–सुदू, आयु–64 वर्ष,
निवासी–ग्राम ककनार, तहसील–दरभा,
जिला–बस्तर (छ.ग.)। ------अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–06.

॥ विरूद्ध ॥

1.– **जानीराम** पिता–साधूराम, आयु–59 वर्ष,
2.– **दया** पिता–साधूराम, आयु–67 वर्ष,
3.– **मनी** पिता–साधूराम, आयु–65 वर्ष,
4.– **हरी** पिता–साधूराम, आयु–63 वर्ष,
5.– **शिवराम** पिता–साधूराम, आयु–61 वर्ष,
................उत्तरवादी क्र.–01 से 05/प्रतिवादी क्र.–01 से 05

6.– **डूमर** पिता–पूरन, आयु–61 वर्ष,
सभी निवासी–ग्राम ककनार,
तह०–दरभा, जिला–बस्तर (छ.ग.) ---- उत्तरवादी क्र.–06/वादी.

7.– **छ०ग० शासन द्वारा**
जिलाध्यक्ष जगदलपुर,
जिला–बस्तर (छ.ग.) ....उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण

Appeal from the decree of the Court **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 बस्तर, स्थान–जगदलपुर (छ०ग०)**, Dated the 20.09.2022 in व्यवहार वाद क्र.–08 अ/2016 This appeal coming on for hearing on the 08.04.2026 before me in the presence of &

अपीलार्थी द्वारा **श्री एन०के० देवांगन,** अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्रमांक–01 से 05 द्वारा **श्री दीपक खेडूलकर,** अधिवक्ता ।
उत्तरवादी क्रमांक–06 एवं 07 पूर्व से एकपक्षीय ।

It is ordered and decreed that

अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–06 द्वारा, **द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–01 बस्तर, स्थान–जगदलपुर (छ०ग०)** द्वारा व्यवहार वाद क्र.–08 अ/2016 में घोषित निर्णय एवं पारित आज्ञप्ति दिनांक 20.09.2022 से व्यथित होकर, प्रस्तुत प्रथम व्यवहार अपील अंतर्गत धारा 96 सपठित आदेश 41 नियम 01 सी.पी.सी., अस्वीकार की जाकर, विचारण न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय एवं पारित आज्ञप्ति **दिनांक** 20.09.2022 की **पुष्टि** की जाती है ।

The cost of this appeal. as detailed below amounting to Rupees -*****--are to be paid by the अपीलार्थी/प्रतिवादी क्रमांक–02 स्वयं अपना तथा उत्तरवादी क्रमांक–06/वादी एवं उत्तरवादी क्रमांक–01 से 05/प्रतिवादी क्रमांक–01 से 05 का वाद व्यय वहन करेगा ।

Given under my hand and the seal of the Court this 10–08–2026

SHAILESH ACHYUT PATWARDHAN
Digitally signed by SHAILESH ACHYUT PATWARDHAN
Date: 2026.08.13 17:25:28 +0530

Cost of Appeal

S.N.	Appeallent	Amount in Rupees	Respondent	Amount in Rupees
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or petitions	300	Stamp for power	05
2.	Stamp for power	05	Stamp for Petition	–
3.	Stamp for Application	14	Service of prosses	–
4.	Service of prosses	11	Pleader's fee on	–
5.	Pleader's fee on Rs.	–	Stamp for Application	–
6.	Translation fee	–	–	–
	Total–	330.00	Total–	05.00

स्थान–जगदलपुर ।
दिनांक– 13.08.2026

SHAILESH ACHYUT PATWARDHAN
Digitally signed by SHAILESH ACHYUT PATWARDHAN
Date: 2026.08.13 17:25:36 +0530